महत्वपूर्ण/तत्काल

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय वल्लभ-भवन, भोपाल

क्र0 117/2025/अमुस/गृह भोपाल, दिनांक 09 मई, 2025

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
म0प्र0।

विषयः- आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत जिलों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्तमान सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं। :-

1. आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां, उपकरण उपलब्ध रहें। डाक्टर मय स्टाफ उपस्थित रहे तथा ब्लड बैंक में सभी ग्रुपों के रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। इसके साथ-साथ विभिन्न अस्पतालों व स्कूलों के मध्य टेम्प्रेररी रहने की व्यवस्था की जा सकती है। वहां जनरेटरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएं।
2. सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखे तथा देश के विरूद्व भड़काउ पोस्ट अथवा सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्यवाही करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रशासन सुनिश्चित करें कि आपात स्थिति में जिलों में पर्याप्त खादय सामग्री, पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस इत्यादि उपलब्ध रहें। लोग खादय सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें।
4. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपात स्थिति में पेयजल की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध रहे।
5. जिलों के अति संवेदनशील स्थलों की सूची को अद्यतन करें। जिसमें अस्पताल, पावर प्लांट, तेल एवं गैस के डिपो, धार्मिक स्थल, भारत सरकार के संस्थान की जानकारी अद्यतन कर रखी जाए।
6. जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जावे जिससे लोगों में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे।
7. अग्निशमन सेवाओं को सकिय रखा जाए। इस हेतु उपकरणों की जांच इत्यादि कर ली जाए।
8. संचार सेवाओं को सुचारू बनाया जाए। इस हेतु दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय करें।

9. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पर्याप्त संख्या में चालू स्थिति में रखा जाए।
10. आपदा प्रबंधन की मॉक–ड्रिल एवं चेतावनी के परिप्रेक्ष्य में शहरों में सायरन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आवश्यक समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें।
11. आपदा की स्थिति में गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय सेवा योजना और एन0सी0सी0 और सिविल स्वयं सेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे ताकि राहत एवं बचाव कार्य में प्रभावी सहयोग मिल सकें।
12. उद्योगों में उत्पादन सुचारू रूप से जारी रखा जाए। उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
13. लोक निर्माण विभाग सडकें, पुलों की देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें।
14. उर्जा विभाग विद्युत प्रदाय की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाई सुनिश्चित करें।

9/5/2025

(कृष्णावेणी देशावतु)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

प्रतिलिपिः–

क्र0 117/2025/अमुस/गृह

भोपाल, दिनांक 09 मई, 2025

1. पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, उर्जा विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, लोक निर्माण विभाग।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लांक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग।
8. महानिदेशक, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, म0प्र0।

9/5/2025.

(कृष्णावेणी देशावतु)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग